

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

के  
248

क्रमांक : प. 1(117)एमई/गुप-1/05

जयपुर, दिनांक : 26/10/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ० सादत अल्ला खां जिनकी जन्म तिथि 18.08.1965 है एवं मेरिट क्रमांक 40A सामान्य/विकलांग श्रेणी है, को सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.-3, 15600-39100 (ग्रेड पे रु. 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08-06-2015 के अनुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 03-7-2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ० सादत अल्ला खां का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आदेश से,



(रतन लाल)

शासन उप सचिव

श/स

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(14)भर्ती/गोपनीय/2010-11/201 दिनांक 12.07.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
6. डॉ० सादत उल्ला खां पुत्र श्री अमानता उल्ला खां, अमानत मेमोरियल हॉस्पिटल बांस की पूलिया कदम रसूल की दरगाह, चार दरवाजा जयपुर (राज.) को **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव